

संचिका सं०-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2) - 27/7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 07/08/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु० 6,40,11,44,712/- (रुपये छः अरब चालीस करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार सात सौ बारह) मात्र के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 4,26,74,29,808/- (रुपये चार अरब छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार आठ सौ आठ) मात्र के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यांश मद में बकाया राशि रु० 2,84,74,29,808/- (रुपये दो अरब चौरासी करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार आठ सौ आठ) मात्र के Kind Grants under NHM मद में व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-1990 दिनांक-07. 07 2026 द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु० 6,40,11,44,712/- (रुपये छः अरब चालीस करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार सात सौ बारह) मात्र के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 4,26,74,29,808/- (रुपये चार अरब छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार आठ सौ आठ) मात्र के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यांश मद में बकाया राशि रु० 2,84,74,29,808/- (रुपये दो अरब चौरासी करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार आठ सौ आठ) मात्र Kind Grants under NHM मद में Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है ।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund received from Govt. of India OF Kind Grant (2025-26)						
Sl. No.	Vaccine Supplies made to state Governments under Routine Immunization Programme(Reproductive and Child Health)under NHM during 2025-26.	Date	Category	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%)	Total
1	T-13020/01/2022-IMM(001)	20.05.25	GEN	356097000	237398000	593495000
2	T-13020/01/2022-IMM(002)	20.05.25	SC	68416000	45610667	114026667
3	T-13020/01/2022-IMM(003)	20.05.25	ST	5504000	3669333	9173333
4	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-010	21.05.25	GEN	29896000	19930667	49826667
5	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-011	21.05.25	SC	5744000	3829333	9573333
6	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-012	21.05.25	ST	462000	308000	770000
7	T-13020/01/2022-IMM(019)	29.05.25	GEN	280902000	187268000	468170000
8	T-13020/01/2022-IMM(020)	29.05.25	SC	53969000	35979333	89948333
9	T-13020/01/2022-IMM(021)	29.05.25	ST	4342000	2894667	7236667
10	T-13020/01/2022-IMM(028)	18.07.25	GEN	182861000	121907333	304768333
11	T-13020/01/2022-IMM(029)	18.07.25	SC	35132000	23421333	58553333
12	T-13020/01/2022-IMM(030)	18.07.25	ST	2826000	1884000	4710000
13	T-13020/01/2022-IMM(037)	06.10.25	GEN	358130000	238753333	596883333
14	T-13020/01/2022-IMM(038)	06.10.25	SC	68806000	45870667	114676667
15	T-13020/01/2022-IMM(039)	06.10.25	ST	5536000	3690667	9226667
16	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-046	13.10.25	GEN	51245000	34163333	85408333
17	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-047	13.10.25	SC	9845000	6563333	16408333
18	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-048	13.10.25	ST	792000	528000	1320000
19	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-055	14.10.25	GEN	248169000	165446000	413615000
20	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-056	14.10.25	SC	47680000	31786667	79466667
21	T-11030/01/2013-CC&V(Pt.II)-Part(1)-057	14.10.25	ST	3836000	2557333	6393333
22	No.Z.28015/347/2018-TB	22.10.25	ST	807000	538000	1345000
23	No.Z.28015/347/2018-TB	22.10.25	SC	48902000	32601333	81503333
24	No.Z.28015/347/2018-TB	22.10.25	GEN	68457000	45638000	114095000
25	No.Z.28015/347/2018-TB	22.10.25	EAC	31897000	21264667	53161667
26	No.Z.28015/347/2018-TB	22.10.25	GEN	87686000	58457333	146143333
27	T-13020/01/2022-IMM(064)	11.11.25	GEN	386659000	257772667	644431667
28	T-13020/01/2022-IMM(065)	11.11.25	SC	74287000	49524667	123811667
29	T-13020/01/2022-IMM(066)	11.11.25	ST	5977000	3984667	9961667
30	No.Z.28015/347/2018-TB(Pt.)	10.12.25	GEN	157300000	104866667	262166667

31	No.Z.28015/347/2018-TB(Pt.)	10.12.25	SC	270772000	180514667	451286667
32	T-13020/01/2022-IMM(083)	18.12.25	ST	4682000	3121333	7803333
33	T-13020/01/2022-IMM(082)	18.12.25	SC	58191000	38794000	96985000
34	T-13020/01/2022-IMM(081)	18.12.25	GEN	302876000	201917333	504793333
35	T-13020/01/2022-IMM-Part(1)-(075)	19.12.25	ST	3828000	2552000	6380000
36	T-13020/01/2022-IMM-Part(1)-(074)	19.12.25	SC	47582000	31721333	79303333
37	T-13020/01/2022-IMM-Part(1)-(073)	19.12.25	GEN	247662000	165108000	412770000
38	T-13020/01/2022-IMM-(089)	20.01.26	GEN	198050000	132033333	330083333
39	T-13020/01/2022-IMM-(090)	20.01.26	SC	38051000	25367333	63418333
40	T-13020/01/2022-IMM-(091)	20.01.26	ST	3061000	2040667	5101667
41	T-13020/01/2022-IMM-(097)	10.02.26	GEN	130323000	86882000	217205000
42	T-13020/01/2022-IMM-(098)	10.02.26	SC	25039000	16692667	41731667
43	T-13020/01/2022-IMM-(099)	10.02.26	ST	2014000	1342667	3356667
44	No.Z.28015/347/2018-TB(Pt.)25-26/295	23.01.26	GEN	313072000	208714667	521786667
45	No.Z.28015/347/2018-TB(Pt.)25-26/296	23.01.26	SC	11914000	7942667	19856667
46	No.Z.28015/347/2018-TB(Pt.)25-26/297	23.01.26	ST	2422000	1614667	4036667
47	T-13020/01/2022-IMM-(105)	17.02.26	GEN	250723000	167148667	417871667
48	T-13020/01/2022-IMM-(106)	17.02.26	SC	48171000	32114000	80285000
49	T-13020/01/2022-IMM-(107)	17.02.26	ST	3875000	2583333	6458333
50	T-13020/01/2022-IMM-(113)	17.02.26	GEN	37326000	24884000	62210000
51	T-13020/01/2022-IMM-(114)	17.02.26	SC	7171000	4780667	11951667
52	T-13020/01/2022-IMM-(115)	17.02.26	ST	577000	384667	961667
53	M.12069/11/2019-Hep(NVHCP)-Part-(I)	28.01.26	GEN	460303	306869	767172
54	M.12069/11/2019-Hep(NVHCP)-Part-(I)	28.01.26	SC	88472	58981	147453
55	M.12069/11/2019-Hep(NVHCP)-Part-(I)	28.01.26	ST	7139	4759	11898
56	M.12069/11/2019-Hep(NVHCP)-Part-(I)	19.03.26	SC	13565	9043	22608
57	M.12069/11/2019-Hep(NVHCP)-Part-(I)	19.03.26	GEN	65307	43538	108845
58	M.12069/11/2019-Hep(NVHCP)	19.03.26	GEN	276191	184127	460318
59	M.12069/11/2019-Hep(NVHCP)	20.03.26	GEN	1329679	886453	2216132
60	No.4-33/2025-26/NCVBDC/Budget/QAS	16.03.26	SC	19977474	13318316	33295790
61	No.4-33/2025-26/NCVBDC/Budget/QAS	16.03.26	SC	106122376	70748251	176870627
62	No.4-33/2025-26/NCVBDC/Budget/QAS	16.03.26	SC	1145206	763471	1908677
63	No.Z.28015/347/2018-TB/346	11.03.26	GEN	186712000	124474667	311186667
64	No.Z.28015/347/2018-TB/376	23.03.26	GEN	40261000	26840667	67101667
65	No.Z.28015/347/2018-TB/347	11.03.26	SC	54866000	36577333	91443333
66	F.No.T-13020/02/2025-IMM(121)	13.03.26	GEN	599732000	399821333	999553333
67	F.No.T-13020/02/2025-IMM(122)	13.03.26	GEN	115225000	76816667	192041667
68	F.No.T-13020/02/2025-IMM(123)	13.03.26	GEN	9270000	6180000	15450000
69	F.No.T-13020/02/2025-IMM-Part (1)(128)	19.03.26	GEN	477027000	318018000	795045000
70	F.No.T-13020/02/2025-IMM-Part (1)(129)	19.03.26	GEN	91649000	61099333	152748333
71	F.No.T-13020/02/2025-IMM-Part (1)(130)	19.03.26	GEN	7373000	4915333	12288333
	Total			6401144712	4267429808	10668574520

h

केन्द्रांश मद :-

GEN-	5,24,87,11,480/-
SC-	1,10,18,85,093/-
ST-	5,05,48,139/-
TOTAL-	6,40,11,44,712/-

राज्यांश मद :-

GEN-	3,49,91,40,987/-
SC-	73,45,90,062/-
ST-	3,36,98,759/-
TOTAL-	4,26,74,29,808/-

3- ज्ञातव्य है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय पत्रांक-182(7बी), दिनांक-15.04.2026 के माध्यम से राज्यांश मद में सामान्य घटक (GEN) की समानुपातिक राशि रु० 2,02,70,40,000 /- (रुपये दो अरब दो करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार) मात्र में से राशि रु० 1,42,00,00,000 /- (रुपये एक अरब बियालीस करोड़) मात्र Kind Grants under NHM मद में व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Vaccine supplies made to State Government under Routine Immunization Programme (Reproductive and Child Health) under NHM मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु० 6,40,11,44,712 /- (रुपये छः अरब चालीस करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार सात सौ बारह) मात्र के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 4,26,74,29,808 /- (रुपये चार अरब छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार आठ सौ आठ) मात्र के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्यांश मद में बकाया राशि रु० 2,84,74,29,808 /- (रुपये दो अरब चौरासी करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार आठ सौ आठ) मात्र Kind Grants under NHM मद में व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति दी जाती है।

5- ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

6- राज्यांश मद- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी कंडिका-4 के अनुरूप केन्द्रांश मद के अधोलिखित विपत्र कोड में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	राज्यांश मद की राशि (रुपये में)
1	मांग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ -उप शीर्ष-0211- इन्फ्रास्ट्रक्चर मेटेनन्स (आधारभूत संरचना एवं रखरखाव) एन०एच०एम० विपत्र कोड-20-2210-01-200-0211, पी०एफ०एम०एस० कोड-4064	31-06	2,07,91,40,987
2	मांग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना(डीएपीएससी) -उप शीर्ष-0204- इन्फ्रास्ट्रक्चर मेटेनन्स (आधारभूत संरचना एवं रखरखाव) एन०एच०एम० विपत्र कोड-20-2210-01-789-0204	31-06	73,45,90,062
3	मांग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना(डीएपीएससी) -उप शीर्ष-0223- इन्फ्रास्ट्रक्चर मेटेनन्स (आधारभूत संरचना एवं रखरखाव) एन०एच०एम० विपत्र कोड-20-2210-01-796-0223	31-06	3,36,98,759
	कुल राशि		2,84,74,29,808

7- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल Implimenting Agency के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जाती है।

8- इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

9- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

10- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0कोड	बैंक का नाम
IM & Kind Grants (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR348IMKIND	01585501248	RBIS0CSSP01	RBI

11- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने संस्थान सहित क्षेत्रीय संस्थानों से विहित प्रपत्र (BTC-42A) में संकलित कर विभाग के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

12- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2) के पृष्ठ-.../टि0 पर प्राप्त है।

13- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

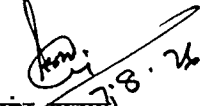
4.

14- राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी ।

15- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16- एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7 / बजट-46-12 / 2021(खण्ड-2)- १७७(७A) / स्वा0, पटना, दिनांक-०७/०८/२०२०

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित सभी जिला पदाधिकारी / संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक / उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

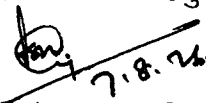
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव / प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०) / प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी-07, 12 / प्रशाखा के सभी सहायक / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव ।